संख्या-20/2019/266/सैंतीस-2-2019-5(29)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-27 फरवरी, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड की 08 पंजीकृत गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5692/सा0-2/बारह-549(भाग-2)/गो.से.आयो./2018-19, दिनांक-22.01.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश की पंजीकृत गोशालाओं में वर्तमान में धारित पशुओं के अतिरिक्त अन्य निराश्रित/बेसहारा पशुओं को भी रखे जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-21-गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना)' के मानक मद 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एतद्द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की निम्नलिखित 08 पंजीकृत गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में प्रति गौशाला रू0-64.50 लाख की दर से कुल रू0-516.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ सोलह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

क्र0	गौशाला का नाम	पता/स्थल
1	श्री राघव गो संवर्धन समिति गोशाला	करेचा, मऊरानीपुर, झांसी
2	गौशाला/गोसदन	इमिलिया खुर्द, कालपी, जालौन
3	श्री नन्दी गौशाला	नरेनखेड़ा अगरहुण्डा, तहसील मानिकपुर, जनपद चित्रकूट
4	जय हनुमान गोशाला सेवा समिति	पिपरहरी, जनपद बांदा
5	श्री शोभन सरकार गोसेवा सदन	ऐंचवारा, चित्रकूट
6	दयोदय पशु संरक्षण केन्द्र गोशाला	ललितपुर
7	जय श्री कृष्ण गोशाला समिति	ग्राम-दिगरा, झांसी
8	ओम गोसेवा समिति	राठ, हमीरपुर

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी और उपलब्ध धनराशि से निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने एवं उसके अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी।
5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।
9. आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
10. प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-21-गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-20/2019/266(1)/सैंतीस-2-2019- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) परिवर्तित नाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, गोमतीनगर, लख्नऊ।
4- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in